



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16087

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3925 वर्ष 2025

राज बल्लभ कुशवाहा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृष्ण दत्त तिवारी, योगेश तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।
2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“(ए) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा गाटा संख्या 684, क्षेत्रफल 0.028 हेक्टेयर, अतिक्रमित क्षेत्रफल 0.003 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 709, क्षेत्रफल 0.085 हेक्टेयर, अतिक्रमित क्षेत्रफल 0.002 हेक्टेयर, जो ग्राम कनकपुरम, तप्पा तरकुलवा, परगना शाहजनाहपुर, तहसील देवरिया सदर, जनपद देवरिया में स्थित है, से अवैध अतिक्रमण को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर हटाए।

(बी) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र संख्या 18831 सन् 2025 तथा 18834 सन् 2025 (ग्राम सभा बनाम राजेन्द्र), जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत लंबित हैं, का निर्णय करे तथा दिनांक 8.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे, जो उक्त विवादित भूमि, स्थित ग्राम कनकपुरा, तप्पा तरकुलवा, परगना शाहजनाहपुर, तहसील देवरिया सदर, जनपद देवरिया, से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित है, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया जा चुका है; अतः प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे विवादित भूखण्ड से अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र निस्तारण हेतु लंबित है, किन्तु प्रकरण में कोई अंतरिम आदेश प्रवर्तित नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि लंबित पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र के शीघ्र निस्तारण हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं, ताकि प्राधिकारी विधि के अनुसार विवादित भूखण्ड से अतिक्रमण हटाने हेतु कदम उठा सकें।
4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत दाखिल पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है।
6. जहाँ तक तहसीलदार द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन का प्रश्न है, उसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 में प्रावधान विनिर्दिष्ट है।
7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका का अंतिम निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 / तहसीलदार, देवरिया सदर, जनपद- देवरिया को निर्देशित किया जाता है कि वह बेदखली एवं हर्जाना संबंधी आदेश दिनांक 8.5.2025 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरुद्ध दाखिल पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र संख्या 18831 सन् 2025 तथा 18834 सन् 2025 का,
पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, शीघ्रतापूर्वक निर्णय करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

रमीज़

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।